<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800अन्य व्यय-05-उ०प्र०सड़क सुरक्षा कोष से व्यय 42-अन्य व्यय	1500.00	59.04	59.04	56.84	1443.16
योग-	**1500.00**	**59.04**	**59.04**	**56.84**	**1443.16**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ० प्र०सड़क सुरक्षा कोष से व्यय 01-वेतन	0.00	0.00	45.68	45.68	45.68
03-महॅगाई भत्ता	0.00	0.00	8.13	8.13	8.13
06-अन्य भत्ते	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14
55-मकान किराया भत्ता	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
योग -	**0.00**	**0.00**	**59.04**	**56.84**	**56.84**

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग,पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु रू० 59.04 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) के पत्र दिनांक 17.04.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस हेतु राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय मद में रू० 59.04 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) व्यायाधिक्तय के कारण निम्नानुसार :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग,पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त मदों में कोई बजट प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण रू० 56.84 लाख की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय में मद संख्या- 01, 03, 06, 55 के सम्मुख अंकित आवश्यक धनराशि रू० 56.84 लाख का पुनर्विनियोग कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-008 /ई-9-यू0ओ0-ई-9-625/दस-2020, दिनॉक 29 मई, 2020

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-29/2020/1208/तीस-3-20-06बी/2014टीसी, दिनॉक 01 जून, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।